सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

पत्र संख्या 14/2/17 समन्वय

छठी मंजिल, बी विंग, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली – 110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi - 110003

Dated .....

दिनांकः 28 अप्रैल, 2017

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
   सभी राज्य/संघशासित क्षेत्र
2. सचिव, गृह विभाग,
   सभी राज्य/संघशासित क्षेत्र

विषयः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रवास के दौरान राजकीय अतिथि का दर्जा तथा सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अन्तर्गत दिनांक 19.02.2004 को हुई है। अनुच्छेद 338क अन्य बातों के साथ–साथ व्यवस्था करता है कि आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकार के किसी आदेश या किसी अन्य विधि या संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध सुरक्षणों के सम्बन्ध में सभी मामलों की निगरानी करे और अनुसूचित जनजातियों के समाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रकिया पर सलाह दें और भागीदारी को और संघशासित क्षेत्र या किसी राज्य के अन्तर्गत उनके विकास की प्रकिया का मूल्यांकन करे और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को उपलब्ध सुरक्षणों पर कार्यान्वयन पर महामहिम राष्ट्रपति को वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड(3) के तहत निहित शक्तियों द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (2) के अन्तर्गत, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना (सं.17014/12/1999–टीडीआर) दिनांक 20.02.2004 द्वारा अधिसूचित, "राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्ते और पदावधि) नियम, 2004" के पैराग्राफ 5(1) के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री तथा सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त है।

3. अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षण, कल्याण एवं विकास तथा उन्नयन की नीतियों/कार्यक्रमों के प्रभावी कियान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन के उद्देश्य से आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा समय–समय पर विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में राजकीय प्रवास कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करना तथा परामर्श प्रदान करना है। इसके लिए आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा राज्य के प्रवास के बाद सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों साथ बैठके की जाती है। इस प्रक्रिया में राज्य प्रवास के दिन सीमित नहीं किये जा सकते है। वर्तमान में राज्य सरकारो द्वारा राज्य अतिथि के लिए दो या तीन दिन तक की व्यवस्था एवं सुविधाऐं प्रदान की जाती है, जो कि आयोग के कर्तव्य के सुचारू रूप से निर्वहन के अनुरूप नहीं हैं।

4. अतः उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य प्रवास के समय में उनके पद के अनुरूप राज्य आतिथ्य प्रदान करे एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दिलीपकुमारे
28/4/2017

(दिलीप एस. कुंभारे)
अवर सचिव, भारत सरकार

सूचनार्थ प्रतिः

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. माननीय सदस्यों के निजी सचिव
4. सचिव के प्रधान निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव के निजी सहायक
6. एन.आई.सी, रा0अ0ज0ज0आयोग, वेवसाइट पर प्रदर्शित करें।